Hindi Update on Extension of Interest Equalisation Scheme (IES) for Pre and Post shipment Rupee Export Credit

कोविड-19 के अंतर्गत Exporter एसोसिएशन ने सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि Interest Equilization Scheme for Pre and Post Shipment Rupee Export credit की अवधि आगे बढ़ा दी जाए।इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

इस हेतु डीजीएफटी ने Trade Notice No. 11/2020-21 Dated 14.05.2020 जारी किया है उसमें Interest Equalization Scheme for Pre and Post Shipment Rupee Export credit की अवधि 31.03.2020 से बढ़ाकर 31.03.2021 कर दी है।

निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों को कई लाभ दिए गए हैं ।इस स्कीम में से एक Interest Equalization scheme for Pre and Post shipment Rupee Export credit scheme है। इससे ब्याज में छूट मिलती है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी।

यह पैकिंग क्रेडिट की तरह निर्यात क्रेडिट पर प्रदान की गई ब्याज की छूट है। प्रारंभ में ब्याज में कटौती की जाती है और पात्रता और मानदंडों के आधार पर 5% तक की छूट दी जाती है।

बैंक eligible exporters को यह लाभ प्रदान करते हैं और external auditor द्वारा certification के आधार पर RBI से उसी की reimbursement का दावा करते हैं। Eligible exporter कोइ स लाभ का दावा करने के लिए external auditor द्वारा एक certificate प्रस्तुत करना होगा।

यह योजना 2015 में 5 साल की अवधि के लिए लागू की गई थी। यह manufacturer exporter के लिए पहचाने गए 416 four digit tariff line और सभी MSME exporter को निर्यात के लिए उपलब्ध था। इसके बाद 2 जनवरी 2019 से merchant exporter को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है यदि वे 416 four digit tariff line के products का निर्यात करते हैं। Merchant exporter जो 416 tariff line के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसयोजनाकेलिए eligible नहींहैं।

ब्याज में छूट की दर 1.5.2015 से 3% निर्धारित की गई थी, लेकिन MSME सेक्टर के लिए rate 2 नवंबर 2018 से 5% तक बढ़ा दी गई हैं। बड़े निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए दर 3% पर बनी हुई है।

निर्यात के items	Eligible निर्यातक	छूट की दर
Scheme में दिए गए 416 tariff line items	बड़े निर्यातक 1.4.2015 से तथा Merchant निर्यातक 2.1.2019 से	3% per annum
सभी tariff lines	MSME उत्पादक	3% per annum 1.4.2015 से तथा 5% per annum 2.11.2018 से

सरकार ने एक बार फिर निर्यातकों की मांग कर कोविड-19 से उत्पन्न कठिनाई बड़ी परिस्थिति में व्यापार व उद्योग जगत की सहायता की है यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है.

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com , at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21 .